न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी /अपील/डिक्री/टी.ए./1353/2005/ बारां

1— गंगाबाई बेवा रख्या,
2— कन्हैयालाल पुत्र रख्या,
3— भागचन्द पुत्र रख्या,
4— रामलाल पुत्र रख्या,
5— मोहनलाल पुत्र रख्या,
समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम महरावता तहसील किशनगंज जिला बारां।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1— शिवनारायण पुत्र कालूलाल जाति तेली,
2— भरत भूषण पुत्र शिवनारायण,
3— शशि भूषण पुत्र शिवनारायण,
4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां।

.....अप्रार्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थिति :—
श्री रमजान मोहम्मद, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री सी.पी. शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांक : 29/11/23**

1— हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा—229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की खंडपीठ द्वारा अपील/डिक्री संख्या—206/2001 में दिनांक 21—12—2004 को पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है ।

2— पुनर्विलोकन याचिका अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी प्रार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, शाहबाद (परीक्षण न्यायालय) में अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31—03—2001 द्वारा वादी प्रार्थीगण का वाद डिक्री कर दिया गया एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम निरस्त कर दिया। प्रतिवादी अप्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26—6—2001 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 26—6—2001 से व्यथित होकर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खंड पीठ ने निर्णय दिनांक 21—12—2004 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर हस्तगत् पुनर्विलोकन याचिका मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने पुनर्विलोकन याचिका में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित स्वविवेकीय निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया है। अप्रार्थीगण ने नामांतकरण संख्या 6 न्यायिक तहसीलदार से मिलकर गैर कानूनी रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया था, जिसको बैरी आयोग ने निरस्त कर दिया था, जिससे अप्रार्थीगण के अधिकार समाप्त हो गये थे। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। घोषणा के दावे में घोषणा की डिक्री को बेदखली की डिक्री में नहीं बदला

जा सकता है, जबकि बेदखली के बारे में एवं कब्जे के संबंध में पक्षकारों की कोई प्लीडिंग नहीं है। धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत् कब्जा काश्त प्रार्थीगण का माना गया है, जिसकी नकल पत्रावली पर मौजूद है तथा राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेन्स एल.आर. 392/99 सरकार बनाम शिवनारायण दिनांक 27–11–2004 के रोज स्वीकार किया गया तथा नामांतकरण संख्या 6 दिनांक 25–5–1962 को माननीय एकल पीठ द्वारा निरस्त किया गया। विपक्षी एवं अप्रार्थीगण के अधिकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व में ही समाप्त किये जा चुके है, ऐसी सूरत में अप्रार्थीगण का कोई केस नहीं बनता है एवं ना ही पुनः ट्रायल कोर्ट निर्णय पारित करने में समक्ष हैं। तहसीलदार किशनगंज की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। जब एक बार राजस्व मण्डल रेफरेन्स स्वीकार करके प्रार्थीगण के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया है तो ऐसी सूरत में पुनः ट्रायल कोर्ट रेवेन्यू बोर्ड के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं कर सकती है। धारा 145 की कार्यवाही भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध हुई है। माननीय खण्डपीठ ने रिसीवरी की जमा राशि को बेदखली के वाद के आधार पर दिये जाने की गलत फाईन्डिंग दी हैं। अप्रार्थीगण को रिसीवर की राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय व डिक्री पारित की थी। ऐसी स्थिति में मंडल द्वारा द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना चाहिये था, किंतु खड पीठ द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की द्वितीय अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31–3–2001 सहित न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 26–6–2001 को अपास्त कर दिया। आदि कथन करते हुए अंत में आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाकर पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि पुनर्विलोकन याचिका में उल्लेखित तथ्यों का संपूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण कर ही माननीय खंडपीठ ने आलोच्य निर्णय पारित किया है। पुनर्विलोकन का दायरा अत्यन्त सीमित है और आक्षेपित निर्णय दिनांक 21—12—2004 में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसे अभिलेख पर दृष्टव्य त्रुटि की श्रेणी में माना जावे। विद्वान खंड पीठ द्वारा विस्तृत विवेचना के बाद सकारण निर्णय पारित किया गया है और पुनर्विलोकन याचिका के माध्यम से ऐसे निर्णय को अपास्त नहीं किया जा सकता है। अतः पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाये।

5— हमने उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश का योग्य विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, शाहबाद के समक्ष पेश किया गया। अप्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा इसका विस्तृत जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31—03—2001 से वादी प्रार्थीगण का वाद डिक्री कर दिया गया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26—6—2001 द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का समुचित विश्लेषण न करते हुए विधि के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जिसे समर्थित नहीं किया जा सकता तथा वादीगण का दावा डिक्री करने तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की खंड पीठ ने

निर्णय दिनांक 21–12–2004 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर हस्तगत् पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की गई है।

6– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, पुनर्विलोकनाधीन निर्णय का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इस पुनर्विलोकन याचिका के माध्यम से प्रार्थी ने जो बिन्दु उठाये है, उक्त बिन्दु प्रार्थी द्वारा पूर्व में ही अपनी द्वितीय अपील के माध्यम से खण्ड पीठ के समक्ष उठाये गये थे। विद्वान खण्ड पीठ द्वारा अपना निर्णय दिनांक 21–12–2004 पारित करते समय इन बिन्दुओं पर विचार करते हुए ही निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी पुनर्विलोकन याचिका में अथवा बहस के दौरान ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं किया है, जिससे आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–12–2004 में कोई दृष्ट्व्य त्रुटि प्रकट होती हो। प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन याचिका में जो आधार लिये गये हैं, वे अपील के आधार हो सकते हैं, किन्तु पुनर्विलोकन याचिका के आधार नहीं हो सकते तथा ऐसे आधारों के आधार पर पुनर्विलोकन के माध्यम से निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विद्वान खण्ड पीठ द्वारा विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय दिनांक 21–12–2004 पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जिन बिन्दुओं पर विचार करके सकारण निष्कर्ष अंकित किये जा चुके हैं, वे बिन्दु पुनर्विलोकन का आधार नहीं बनाये जा सकते हैं, चाहे उक्त निष्कर्ष गलत ही हों। गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन याचिका द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु केवल मात्र अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

7– आक्षेपित निर्णय का अवलोकन व अध्ययन करने, हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका प्रार्थनापत्र में वर्णित समस्त सुसंगत तथ्यों पर विचार करने और विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षों के तर्कों पर मनन करने के बाद

इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान खण्ड पीठ द्वारा सभी बिन्दुओं की विवेचना कर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–12–2004 में ऐसी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है जिसके आधार पर उसमें पुनर्विलोकन याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य